भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 320
जिसका उत्तर मंगलवार 26 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है

डीजल के वाहनों पर प्रतिबंध

320. श्री रावसाहेब पाटील दानवे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु दिल्ली और एनसीआर में डीजल की कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आटो विनिर्माताओं/डीलरों ने स्टॉक समाप्त करने के लिए समय मांगा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या सरकार ने देश में निवेश पर इस प्रतिबंध के प्रभाव का आकलन किया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
(च) क्या सरकार का विचार उक्त प्रतिबंध को प्रदूषण वाले अन्य शहरों में भी लगाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, नहीं। दिल्ली और एनसीआर में डीजल की कारों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम सी मेहता बनाम भारत का संघ के मामले में दिनांक 16.12.2015 को पारित आदेश में निदेश दिया है कि 2000 सीसी क्षमता की डीजल वाली एसयूवी और निजी कारों के पंजीकरण पर 31 मार्च, 2016 तक एनसीआर में प्रतिबंध होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामला 30 अप्रैल, 2016 को उठाने की घोषणा करते हुए यह प्रतिबंध 31 मार्च, 2016 को पुनः बढ़ा दिया गया। उक्त आदेश का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।

(ख) और (ग): भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को ऑटो विनिर्माताओं/डीलरों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है; प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ): जी, नहीं। देश में निवेश पर उक्त प्रतिबंध का प्रभाव समझा जाना अभी जल्दबाजी होगी; प्रश्न नहीं उठता।

(च): जी, नहीं।

****